## म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियॉ एवं इतिहास

मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है । राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये सर्वप्रथम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत सितम्बर 1974 में इसे गठित किया गया था । प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम लागू किये जाने से बोर्ड का कार्यक्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया है । वर्तमान में बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के दायित्व का निर्वहन कर रहा है :–

1 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974
2 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) उपकर अधिनियम, 1977
3 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1981
4 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गतः–
  - 4.1 परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989
  - 4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण,भंडारण और आयात नियम, 1989
  - 4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998
  - 4.4 पुर्न चिक्रित प्लास्टिक (विनिर्माण और उपयोग) नियम, 1999
  - 4.5 नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000
  - 4.6 बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001

### प्रमुख उद्वेश्यः–

- राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना ।
- प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन ।
- राज्य शासन, केन्द्र शासन तथा अन्य संबंधित संस्थाओं से सामंजस्य बनाये रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण कार्यो में उन्नयन कराना
- पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन–चेतना जागृत कर जन सहयोग प्राप्त करना ।
- राज्य शासन को प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण हेतु सलाह देना ।
- प्रदूषण के संबंध में जनकारी एकत्रित करना तथा जन–जागरूकता बढ़ाना ।
- प्रदूषण संबंधी मानकों का निर्धारण करना तथा मानकों का पालन सुनिश्चित कराना ।
- प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में केन्द्र शासन तथा राज्य शासन से प्राप्त नीति निर्देशों का क्रियान्वयन करना ।
- प्रदूषणकारी उद्योगों / संस्थाओं के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करना ।

### संगठनात्मक संरचना –

भोपाल में मुख्यालय सहित बोर्ड के दस क्षेत्रीय कार्यालय, एक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, चार उप क्षेत्रीय कार्यालय, दो मॉनिटरिंग सेन्टर एवं तीन एकल खिड़की प्रणाली राज्य में कार्यरत हैं ।

## वित्तीय वर्ष 2005.2006 में बोंर्ड की उपलब्धियां :–

1 **प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी** :– वर्ष 2003–2004 में प्रदेश की प्रमुख नदियों, सहायक नदियों, झीलों, बॉधों, तालाबों आदि से 2798 नमूने एवं वर्ष 2004–05 में 3413 नमूने एकत्रित कर जॉच की गई, जबकि वर्ष 2005–06 में 2652 नमूनों की जांच की गई ।

2 **औद्योगिक निस्त्राव पर नियंत्रण** :– उद्योगों की प्रकिया से उत्पन्न निस्त्राव की गुणवत्ता पर निगरानी की दृष्टि से वर्ष 2003–04 में 4146 नमूने एवं वर्ष 2004–05 में 3718 नमूने एकत्रित कर जॉच की गई तथा वर्ष 2005–06 में 3369 नमूनों की जांच की गई ।

3 **औद्यौगिक वायु प्रदूषण नियंत्रण** :– उद्योगों से उत्पन्न वायु प्रदूषण की निगरानी स्त्रोत तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कर रखी जाती है । वर्ष 2003–04 में 416 स्त्रोत उत्सर्जन तथा 1595 परिवेशीय वायु नमूनों का मापन किया गया एवं वर्ष 2004–2005 में 511 स्त्रोत उत्सर्जन तथा 2083 परिवेशीय वायु नमूनों का मापन किया गया तथा वर्ष 2005–06 में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के 2665 तथा चिमनी उत्सर्जन के 744 नमूनों की जांच की गई ।

4 **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण** :– औद्यौगिक क्षेत्र, व्यवसायिक, रहवासी एवं शॉत क्षेत्रों में वर्ष 2003–04 में 3201 एवं वर्ष 2004–2005 में 4766 नमूने एकत्रित किए गये हैं तथा वर्ष 2005–06 में 4578 नमूनों की जांच की गई । परिणामों से जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया ।

5 **वाहन उत्सर्जन मापन** :– लगभग 72 प्रतिशत वायु प्रदूषण का स्त्रोत वाहन उत्सर्जन है । बोर्ड द्वारा वाहन उत्सर्जन का मापन परिवहन विभाग के समन्वय में किया जाता है । वर्ष 2003–04 में 7608 एवं वर्ष 2004–2005 में 9495 तथा वर्ष 2005–06 में 10104 वाहनों के उत्सर्जन का मापन कर परिवहन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया ।

6 **खतरनाक अपशिष्ठ प्रबंधन** :– खतरनाक अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1989, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत वर्णित पदार्थो को खतरनाक अपशिष्ठ माना जाता है । इस प्रकार के अपशिष्ठ की विशेष निगरानी, परिवहन एवं निपटान की व्यवस्था की जाना होती है । प्रदेश में आज की स्थिति में लगभग 900 उद्योगों को खतरनाक अपशिष्ठ के प्रबंधन हेतु प्राधिकार दिया गया है । बोर्ड द्वारा शासन के सहयोग से खतरनाक अपशिष्ठों के निपटान (डिस्पोजल) हेतु एक संयुक्त स्थल का विकास करने की कार्यवाही की जा रही है । मालनपुर (भिण्ड) में स्थल चयनित कर पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन.पी.सी.) द्वारा किया जा रहा है जो

पूर्णता की ओर है । पीथमपुर में स्थल का चयन कर म.प्र. राज्य औद्यौगिक विकास निगम के सहयोग से निर्माण कार्य मे0 रामकी एनवायरो इंजीनियर्स द्वारा किया जा रहा है तथा कार्य प्रगति पर है ।

## 7 जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन–

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998 प्रकाशित किये गये हैं । जीव चिकित्सा अपशिष्ठ का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन (डिस्पोजल) को 10 श्रेणियों में बांटा गया है तथा उपचार की विभिन्न पद्वतियॉ जैसे इन्सीरिनेशन, आटो क्लेविंग, माइक्रोवेविंग, रसायनिक उपचार, कटिंग श्रेडिंग तथा भूमि में गहरा गाढ़ना आदि विकल्प उल्लेखित हैं । बोर्ड के प्रयासों से अब तक इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना आदि 5 स्थानों पर संयुक्त भस्मकों की स्थापना हुई है । दो स्थानों छिंदवाड़ा एवं होशंगाबाद में ''डीप बरियल'' विधि पर आधारित उपचार व्यवस्था संचालित है । 13 अस्पतालों के विरूद्व न्यायालयीन कार्यवाही की गई है । बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली से जबलपुर, भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर में स्थापित संयुक्त उपचार संयंत्रों की कार्य दक्षता अध्ययन कराया जा रहा है ।

## 8 नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन –

नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2000 के अनुसार सभी नगर निकायों को नगरीय ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन निर्धारित समय–सीमा में दिसम्बर 03 तक करना था । वित्तीय अनुपलब्धता के कारण समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी । गत वर्षो में बोर्ड द्वारा विशेष अभियान चलाकर 337 नगर निकायों में से 293 को प्राधिकार जारी किये गये हैं । 330 निकायों ने अपशिष्ठ प्रबंधन के लिये भूमि चिन्हित की है जिनमें से 37 को भूमि आवंटित की जा चुकी है । शेष निकायों को प्राधिकार दिये जाने व प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं । बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली के माध्यम से तीन नगरो– श्योपुरकलां, खजुराहो एवं रीवा हेतु ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराए जा रहे हैं । भोपाल नगर निगम के विरूद्व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयीन वाद भी दायर किया गया है ।

## 9 पॉलीथीन एवं प्लास्टिक कचरा प्रबंधन –

पुनचक्रित प्लास्टिक (विनिर्माण तथा उपयोग) नियमों के प्रावधान अनुसार बैगों के उपयोग, एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन (डिस्पोजल) हेतु विहित प्राधिकारी संबंधित जिला का कलेक्टर तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी है । शहरों और नगरों में प्लास्टिक थैलियों के निपटारे की गंभीर समस्या को देखते हुये म.प्र.शासन द्वारा दिसंबर 04 में अधिनियम बनाया गया है, जो कि ''म.प्र. जैव अनाश्य अपशिष्ठ (नियंत्रण) अधिनियम 2004'' के नाम से बनाया गया है । इस अधिनियम में प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल के परिपेक्ष्य में उल्लंघन पाये जाने पर जन सामान्य के साथ–साथ संबंधित शासकीय विभाग के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान है । यह अधिनियम प्लास्टिक कचरे के प्रभावी प्रबंधन हेतु कारगर होगा तथा राज्य शासन द्वारा इसके नियम बनाए जा रहे हैं । 14 इकाईयों के विरूद्व न्यायालयीन वाद दायर किए गये हैं ।

10 **न्यायालयीन कार्यवाही** :– वर्ष 2003–2004 में विभिन्न उद्योगों / संस्थाओं पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत 6, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम के अंतर्गत 2 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 12 न्यायालयीन वाद (कुल 20) वाद दायर किये गये हैं एवं वर्ष 2004–2005 में विभिन्न उद्योगों / संस्थाओं पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत 13, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम के अंतर्गत 8 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 14 न्यायालयीन वाद (कुल 35 ) तथा वर्ष 05–06 में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत 8, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत 17 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 10 न्यायालयीन वाद (कुल 35) वाद दायर किये गये हैं ।

11 **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनाः–** केन्द्र शासन द्वारा प्रवर्तित इस योजना में क्षिप्रा (उज्जैन), चम्बल (नागदा), खान (इन्दौर), ताप्ती (बुरहानपुर), बेतवा (विदिशा, भोपाल, मण्डीदीप), नर्मदा (जबलपुर), वैनगंगा (सिवनी, छपारा, केवलारी), को सम्मिलित किया गया है । केन्द्र सरकार द्वारा रूपये 101.19 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है । योजना पर मार्च 2006 की स्थिति में लगभग 66.00 करोड़ की राशि व्यय हुई है तथा 58 स्वीकृत योजनाओं में से 48 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष 6 योजनाओं पर कार्य जारी है । योजनाओं के पूर्ण होने पर इनका संचालन एवं संधारण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाओं द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । योजनाओं के पूर्ण हो जाने की स्थिति में नगरों से उत्पन्न दूषित जल–मल से नदी में होनेवाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा ।

12 **जोनिंग एटलस परियोजना** –

औद्योगिक क्षेत्रों का सुव्यवस्थित विकास ही प्रदूषण की समस्या के निदान का साधन है । इस उद्देश्य से संभावित औद्यौगिक क्षेत्रों के निर्धारण हेतु जिलेबार जोनिंग एटलस तैयार किये जा रहे हैं । इससे क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय विशेषताओं, विभिन्न प्रदूषण स्त्रोतों के इकॉलोजी पर संभावित प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये उद्योगों की स्थापना हेतु स्थल चयन में सहायता मिलती है । वर्ष 2003–2004 की स्थिति में 5 जिलों इन्दौर, धार, रायसेन, सागर, छिन्दवाड़ा के जोनिंग एटलस तैयार हो चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, एप्को एवं सी एम.पी.डी आई (सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीटयूट) रांची के सहयोग से इंदौर शहर की पर्यावरण प्रबंधन योजना, पचमड़ी की जैव विविधता रिपोर्ट तथा सतना क्षेत्र की चूना पत्थर खनन की पर्यावरणीय रिपोर्ट के प्रारूप केन्द्रीय बोर्ड को भेजे गये हैं । वर्ष 2004–05,05–06 में राज्य स्तरीय एनवायरनमेंट एटलस बनाने की कार्यवाही की गई है जिसमें राज्य की जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता, भूजल गुणवत्ता, जंगल खनन इत्यादि के नक्शे रिमोट सेसिंग के माध्यम से तैयार कर प्रारूप प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

13 **इमरजेंसी रिस्पोंस सेंटर (ई.आर.सी)** –

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं अन्य संबंधित आपात परिस्थितियों में उद्योगों एवं अन्य एजेन्सियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेंसी रिस्पोंस सेंटर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है । शासन व अन्य विभागों को भी तकनीकी मार्गदर्शन इस सेंटर द्वारा दिया जाता है एवं मध्यप्रदेश

शासन ने इस कार्य हेतु उक्त सेंटर को 'नोडल ऐजेन्सी' घोषित किया है । राज्य शासन एवं सदस्य उद्योगों की सहायता से ई.आर.सी. संचालित किया जा रहा है । वर्तमान में ई.आर.सी के सदस्यों की संख्या 254 है । ई आर सी द्वारा सुनामी पीड़ितों को आवश्यक सहायता पहुंचाने के उद्वेश्य से विभिन्न राज्यों के प्रशासन को चिकित्सकीय एवं आपदा प्रबंधन संबंधी आवश्यक जानकारियॉ निरन्तर उपलब्ध कराई गईं । वर्ष 05–06 में सदस्यता शुल्क के रूप में रू. 6.22 लाख एकत्रित किये गये ।

## 14 ईकोसिटी परियोजना :–

इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में उज्जैन नगर के महाकाल क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार हेतु योजना तैयार की गई है जो केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत की गई है । प्रथम चरण में रूद्र सागर तालाब की खुदाई कर स्वच्छ जल भरा जाना है । तत्पश्चात आस–पास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, विद्युत व्यवस्था में सुधार, वृक्षारोपण, सड़कों का विकास आदि किया जाना है । प्रथम चरण की लागत रूपये 5.00 करोड़ है जिसमें से 50 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा दिया जावेगा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि नगर निगम द्वारा वहन की जावेगी । नगर निगम द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है ।

## 15 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

**वर्ष 2005–06 में निम्न परियोजनाओं पर अध्ययन कार्य किया गया :–**

1. मंडीदीप औद्यौगिक क्षेत्र, जिला रायसेन की परिवेशीय वायु में भारी धातुऐं तथा हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति का अध्ययन ।
2. देवास औद्यौगिक क्षेत्र में भूमिगत जल प्रदूषण की जॉच ।
3. मेसर्स राष्ट्रीय फर्टिलाईजर लि. गुना के औद्यौगिक निस्त्राव में टाक्सीसिटी की जांच ।
4. बेतवा नदी के आसपास के कृषि उत्पादों व भूमि में भारी धातुओं व कीटनाशकों की उपस्थिति का अध्ययन।